दूरभाष नं0–0141–2227104,
2227315,

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,

तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

एफ 1(15)बीप्रसं/भंडार/2013/1932 दिनांक: 20.06.2013

निविदा सूचना

हस्तनिर्मित शत प्रतिशत कॉटन सफेद व नीले रंग (नमूना अनुसार) की 24"x 30" (इंच) साइज की कार्डशीट रिम निर्धारित तकनिकी मापदण्डों के अनुरूप 750 रिम नीली व 100 रिम सफेद अनुमानित लागत 12,00,000/– रूपये के क्रय हेतु अलग–अलग सीलबंद तकनिकी एवं वित्तीय निविदा दिनांक 10.07.2013 को मध्यान्ह पश्चात 3.00 बजे तक बयाना राशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट 24,000/–रूपये के साथ आमंत्रित की जाती हैं। खादी ग्रामोद्योग विभाग में पंजीकृत हस्तनिर्मित कागज के निर्माता ही तकनीकी व वित्तीय निविदा प्रपत्र एवं अन्य शर्ते 400/– रूपये नकद भुगतान कर प्रतिदिन कार्यालय समय में संस्था कार्यालय से दिनांक 10.07.2013 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। तकनिकी निविदाऐं उसी दिन सांय 3.30 बजे खोली जावेगी तथा वित्तीय निविदा उन्ही निविदादातओ की खोली जावेगी जिनकी तकनिकी निविदा सही पाई जावेगी। उक्त निविदा की विस्तृत शर्तो को राजस्थान सरकार एवं कृषि विभाग जयपुर की वेब साइट पर **"tender @rajasthan gov.in"/ "www.rajasthankrishi.gov.in "** एवं **Rajasthan State Public Procurement Portal** की वेब साइट **http://sppp.raj.nic.in** पर देखा जा सकता हैं।

(यशपाल महावत)
निदेशक

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,

तृतीय तल, पंत कृषि भवन,जनपथ, जयपुर

अंतिम तिथि – 10.07.2013
दोपहर 12 बजे तक

तकनिकी निविदा प्रपत्र

शत प्रतिशत कॉटन हस्तनिर्मित पेपर कार्डशीट की आपूर्ति हेतु निविदा।

1. वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है:– शतप्रतिशत कॉटन हस्तनिर्मित पेपर कार्डशीट की आपूर्ति हेतु।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता मय टेलीफोन /मोबाईल नंबर ....
....

3. किसको संबोधित किया गया – निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन जयपुर–फोन न0. *0141–2227104, 2227315*

4. संदर्भ निविदा सूचना कमांक 1932 दिनांक 20.06.2013

5. निविदा शुल्क की राशि रूपये 400/– नकद रसीद/डी0डी0संख्या .... दिनांक ....के द्वारा जमा करा दी गई है ।

6. मैं/हम निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 1932 दिनांकः 20.06.2013 में वर्णित सभी शर्तो से तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की गई अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है , जिनको हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है ।

7. कार्डशीट के स्पेशिफिकेशन निम्न प्रकार है –

क्रं0सं0	मद का विवरण व स्पेशिफिकेशन	मात्रा	अन्य विवरण
1.	नीली(ब्लू) शतप्रतिशत कॉटन हस्तनिर्मित पेपर रिम साईज 24"X 30 "	750 रिम की आपूर्ति	रंग संलग्न नमूना अनुसार
2.	सफेद(व्हाइट) शत प्रतिशत कॉटन हस्तनिर्मित पेपर, रिम साइज 24"X 30 "	100 रिम की आपूर्ति	रंग संलग्न नमूना अनुसार

1. Basis weight, gm/m 2	Minimum 230
2. Tensile Index, Nm/gm	Min. 20
3. Tear Index m N.m2/g	Min.12
4. Burst Index Kpa m2/g	Min.2
5. Double Fold, No.	Min.1500
6.Cotton percentage	100%

7. –A दर समस्त करो सहित एफ0ओ0आर0 संस्था के जयपुर कार्यालय है

8. सभी कार्ड शीटों की मोटाई, भार व रंग समान होगा।

9. शीट डबल प्रेस करके दी जावेगी ताकि ऑफ सैट प्रिंटिग से छपाई संभव हो सके

10. माल तैयार हो जाने के बाद संस्था को सूचना दी जावेगी। निरीक्षण पश्चात एक शीट के चार बराबर टुकडें कर आपूर्ति की जावेगी।

11. आपूर्ति आदेश में अकिंत तिथि अनुसार की जायेगी। यह मात्रा प्रति माह 100 रीम से कम नही होगी।

12 प्रदाय की गई सभी वस्तुएँ निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। कागज में कॉटन के अशं के 5 प्रतिशत तक की कमी होने पर भी आपूर्ति स्वीकार की जा सकती है।

13 बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या ....दिनांक ....रूपये . . .. के लिये बयाना राशि के पेटे संलग्न किया जाता है ।

14 बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर चुकती प्रमाण पत्र नवीनतम 31.03.2013 का प्रस्तुत किये जाते है ।

15. विनिर्माता का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाता है ।

16 निविदा दाता खादी ग्रामोद्योग विभाग में पंजीकृत है पंजीकरण क्रंमाक............. दिनांक.....................पंजीकरण प्रमाण पत्र वैधता की सत्यापित छायाप्रति उक्त निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

17. जो भी नीला/सफेद हैण्डमेड पेपर नमूने के रूप में लगाया जाए उसके साथ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त उपक्रम जैसे मै0 कुमारप्पा नेशनल हैण्डमेड पेपर इंसटीयुट सांगानेर/जगदम्बा लबोरटेरीज जयपुर से वाछिंत तकनिकी मापदण्डों की जांच की मूल रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए।

18. तकनिकी निविदा वाले लिफाफे नीला/सफेद कागज का ए–4 साइज का नमूना, तकनिकी मापदण्डों की जांच रिपोर्ट, किसी कपडें पर प्रस्तुत किये जाने वाले नमूने के साथ सिलाई टेस्ट एवं डी.डी. या नकद जमा की मूल रसीद आवश्यक रूप से सलग्न की जावें जिसके अभाव में निविदा पर विचार करना सम्भव नही होगा।

19. उपरोक्त सभी शर्तो को पूरा करने पर ही तकनीकी निविदा को सफल माना जायेगा।

हस्ताक्षर निविदा दाता (फर्म की मोहर)

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,
तृतीय तल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

अंतिम तिथि –10.07.2013
दोपहर 12 बजे तक

<u>वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>

शत प्रतिशत कॉटन हस्तनिर्मित पेपर, कार्ड शीट आपूर्ति हेतु निविदा :–

1 वस्तुओं का नाम जिनके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है :– शत प्रतिशत कॉटन हस्तनिर्मित पेपर, कार्ड शीट रिम की आपूर्ति।

2 निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता मय टेलीफोन /मोबाईल नंबर ....

....

3. किसको संबोधित किया गया – निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन जयपुर फोन न0. *0141–2227104, 2227315*

4. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक 1932 दिनांक 20.06.2013

5. निविदा शुल्क की राशि रूपये 400/– नकद रसीद/डी0डी0संख्या .... दिनांक ....के द्वारा जमा करा दी गई है ।

6. मैं/हम निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 1932 दिनांक 20.06.2013 में वर्णित सभी शर्तो से तथा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न की गई अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है, जिनको हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

7. निर्धारित स्पेशिफिकेशन वाली कार्ड शीट की दरें इस प्रकार है :–

क्र. सं.	मद का विवरण व स्पेशिफिकेशन	मात्रा	दर प्रति रीम समस्त करो सहित एफ0ओ0 आर0मुख्यालय,जयपुर
1	नीली(ब्लू) शतप्रतिशत कॉटन हस्तनिर्मित पेपर रिम साईज 24"X 30 "	750 रिम की आपूर्ति	
2	सफेद (व्हाइट) शत प्रतिशत कॉटन हस्तनिर्मित पेपर, रिम साइज 24"X 30 "	100 रिम की आपूर्ति	

हस्ताक्षर निविदा दाता (फर्म की मोहर)

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

<u>खुली निविदा के लिये निविदा की शर्ते एवं नियम</u>

1 तकनिकी व वित्तीय निविदाएं दो अलग–अलग लिफाफे में सील बन्द कर स्पष्टरूप से लिफाफे पर लिखकर फिर एक साथ दूसरे लिफाफे में अलग से बन्द कर प्रस्तुत की जानी चाहिए। तकनिकी बिड लिफाफे में निम्न दस्तावेज रखे जाने चाहिए । इन दस्तावेजो के आधार पर ही पात्रता निर्धारित की जायेगी। जो निविदा दाता तकनिकी बिड में सफल पाये जायेगें,उन्ही की वित्तीय बिड खोली जावेगी।

<u>तकनिकी निविदा के लिफाफे में रखने वाले दस्तावेजो का विवरण</u>

1. खादी ग्रामोद्योग विभाग में पंजीकरण प्रमाए पत्र की वैद्यता की छाया प्रति।
2. बयाना राशि का डीडी/ नगद राशि जमा की मूल रशीद
3. ए–4 साइज का सफेद/ नीले रंग की कार्डशीट का एक नमूना (शर्त संख्या 4 के अनुसार)
4. तकनिकी मापदंडो की जांच रिपोर्ट
5. सिलाई टेस्ट की रिपोर्ट
6. एस आर प्रारूप 11 मे निर्माताओं द्वारा की गई घोषणा पत्र
7. बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटो प्रति
8. सबंधित सर्किल के वाणिज्य कर अधिकारी से प्रमाणित बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र नवीनतम 31.03. 2013
9. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए ।
10. आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नं. की प्रमाणित प्रति।
11. निविदा प्रपत्र नेट से डाउनलोड किये जाने पर निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 400/– ड्राफ्ट।

नोट– उपरोक्त दस्तावेजो के अभाव में वित्तीय निविदा को नहीं खोला जायेगा तथा निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दर को शामिल नहीं किया जावेगा ।

<u>2</u> एक फर्म द्वारा मात्र एक ही ए–4 साइज का सफेद/ नीले रंग का नमूना लगाकर एक ही दर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

<u>3</u> जो भी नीला/सफेद हैण्डमेड पेपर नमूने के रूप में लगाया जाए उसके साथ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त उपक्रम जैसे मै0 कुमारप्पा नेशनल हैण्डमेड पेपर इंसटीयुट सांगानेर/जगदम्बा लबोरटेरीज जयपुर से वाछिंत तकनिकी मापदण्डों की जांच की मूल रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए।

<u>4</u> तकनिकी निविदा वाले लिफाफे नीला/सफेद कागज का ए–4 साइज का नमूना, तकनिकी मापदण्डों की जांच रिपोर्ट, किसी कपडें पर प्रस्तुत किये जाने वाले नमूने के साथ सिलाई टेस्ट एवं डी.डी. या नकद जमा की मूल रसीद आवश्यक रूप से सलग्न की जावें जिसके अभाव में निविदा पर विचार करना सम्भव नही होगा।

<u>5</u> वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में नमूने की सिर्फ एक दर साईज के हिसाब से प्रस्तुत की जानी है इसमें केवल वित्तीय निविदा प्रपत्र ही रखा जायेगा ।

<u>6</u> वास्तविक निर्माता द्वारा निविदाऐं:– निविदाऐं मालों के वास्तविक निर्माता द्वारा दी जाएगी अतः वे एस. आर.प्रारूप 11 में घोषणा प्रस्तुत करेगें। उक्त निर्माता खादी ग्रामोद्योग विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण प्रमाण पत्र वैधता की सत्यापित छाया प्रति तकनिकी निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

<u>7</u> 1) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नये भागीदारो को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिसचार्ज) होगी।

बिक्रीकर पंजीयन व शोधन प्रामाण पत्रः– कोई भी निर्माता जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है यदि राज्य में प्रचलित बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नही देगा। बिक्रीकर पंजीयन संख्या का उल्लेख अत्यावश्यक हैं तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिकर अधिकारी से नवीनतम 31.3.2013 तक का बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे तथा इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

9. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
10. दरें मुख्यालय जयपुर consignee store जिस में उत्पाद शुल्क, बिक्री कर एवं VAT पृथक से प्राप्ती के लिये दर्शायी जानी चाहिये। इसमें चुंगी एवं स्थानीय करों की राशि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
11. निविदादाता द्वारा दी गई दरों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु राज्य के बाहर की फर्म की दरों में केन्द्रीय बिक्री कर शामिल किया जावेगा और राज्य की फर्मो का RST/VAT शामिल नहीं किया जावेगा, परन्तु राज्य की फर्मो की तुलना में बिक्रीकर की राशि को दरो में शामिल किया जावेगा।
12. मूल्य अधिमानः मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विर्निमित मालो की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगो को अधिमानता) नियम 1995 के अनुसार दी जायेगी।
13. विधिमान्यताः– निविदाऐं उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिन तक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
14. ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नही सोपेगा या सबलेट पर नहीं देगा।
15. प्रदाय की गई सभी वस्तुएँ निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। कागज में काटन के अंश के 5 प्रतिशत तक की कमी होने पर भी आपूर्ति स्वीकार की जा सकती हैं।
16. प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विधिवत निरीक्षण केता अधिकारी द्वारा नियुक्त कमेटी से किया जा सकेगा।
17. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा कि वे स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है। जहाँ आवश्यक हो वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहाँ पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा उन्हें स्वीकार किया जाएगा। (कागज में कॉटन के अंश के 5 प्रतिशत तक की कमी होने पर भी आपूर्ति स्वीकार की जा सकेगी।)

18. परीक्षण प्रभारः— परीक्षण प्रभार संस्था द्वारा वहन किये जाएगे, यदि क्रेता संस्था अपने स्तर पर परीक्षण करवाती हैं। परीक्षण परीणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसिफिकिशन के अनुसार नहीं है ता परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगे।

19. रदद करना — निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हें रदद किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हे क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वंय की लागत पर बदला जाएगा।

20. (2) तथापि यदि संस्था कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना आवश्यक नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा । इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

21. रदद् की गई वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रदद करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के अंदर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।

22. निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिये उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रीयों की जाँच निरीक्षण किये जाने पर पाई गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिये उत्तरदायी होगा। इसके लिये कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

23. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी को संतुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं तो निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

24. निविदादाता को उसके प्रतिनिधि की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

1. सुपुर्दगी अवधिः निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी वह सप्लाई आदेशों के अनुसार निश्चित अवधि के भीतर सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा।

2. मात्रा की सीमाः— आदेश को फिर से देनाः यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिये आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने केलिये बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गई शर्तों पर दिये जा सकेगे, परंतु शर्त यह है कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गई मात्रा को 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिये ही होंगे। तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अंतिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो केता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिये स्वतंत्र हेगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

3. यदि केता अधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है यानिविदा प्रपत्र में निर्दिष्ठ मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिये अधिकृत नहीं होगा।

25. बयाना राशि :–

(क) तकनिकी निविदा के साथ बयाना राशि नियमानुसार प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदा पर विचार नही किया जाएगा। यह राशि राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रामाणीकरण संस्था, जयपुर के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा कराई जानी चाहिये।

1. नकद –
2. शिडयूअल बैंक का बैक ड्राफट /बैकर्स चेक

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदा दाता को बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद शीघ्र लौटाई जाएगी।

26. बयाना राशि से छूटः– बयाना राशि लघु उद्योगों केलिए उनके द्वारा प्रस्तावित मात्रा के मूल्य का 1/2 प्रतिशत राशि होगी, रूग्ण इकाईयों के लिए यह राशि 1 प्रतिशत एवं अन्य के लिए बयाना राशि अनुमानित मूल्य के 2 प्रतिशत मुल्य के बराबर होगी। उन फर्मो को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत है उन मदो के सम्बन्ध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, उनके द्वारा प्रस्तावित मात्रा के मुल्य के 1/2 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी

(1) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं। यदि वे स्वयं द्वारा उत्पादित माल की निविदा देते है ।

(2) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रदद की गई या संविदाओ के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिये बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नही किया जाएगा यथापि यदि निविदाओ को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता हैं।

27. बयाना राशि का समपहरणः बयाना राशि को निम्न मामलों में समपृहत कर लिया जाएगा :–

(1) जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताब को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता हैं।

(2) जब निविदादाता प्रदायगी के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(3) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की आपूर्ति प्रारंभ करने में असफल रहता हो।

28. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–

1. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकार करने की सूचना प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र 500 रू. के नोन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिये निविदाए स्वीकार की गई है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिन के भीतर जमा कराई जाएगी।

लघु उद्योगों के लिए उनके द्वारा आदिष्ठ मात्रा का 1 प्रतिशत एवं रूग्ण इकाई के लिए 2 प्रतिशत होगी, अन्य के लिए अनुमानित मुल्य का 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि देय होगी।

राज्य के बाहर की कोई विनिर्माता की दर न्यूनतम आती है तो वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26.01.2013 के राज. पारदर्शिता अधिनियम 2012 के नियम 2013 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जिसके अनुसार राज्य की फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी व 20 प्रतिशत राज्य के बाहर की न्यूनतम दर दाता को आपूर्ति आदेश दिये जायेगें एवं 80 प्रतिशत राज्य के न्यूनतम दर दाता को आदेश दिये जायेगें ।

2— निविदा के समय जमा कराई गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिये समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।

3— प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा व्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

4— प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होगें।

(क) नकद/बैक ड्राफट/बैकर्स चैक

(ख) डाकघर बचत बैक पास बुक्स जिसे विधिवत गिरवी रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र व डिफेन्स सेविंग प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता है। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

5. एक समय खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अंतिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिये सविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने के बाद या गारंटी की अवधि, यदि हो, के समाप्त हो जाने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्ध कोई देय बकाया नही है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जाएगाः

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो ।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामलें में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

(4) करार पत्र को पूर्ण करनें एवं उस पर स्टांप लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टांपशुदा प्रतिपडत निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी ।

29. बीमा :–

1. सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएगें। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते है तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नही की जाएगी ।

2. यदि केंता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा । ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए ।

30. भुगतान :–

1. संस्था द्वारा किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा ।
2. जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जाएगे ।
3. विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा ।
4. उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने के जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिये जाएगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुसार होगें ।
5. निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से फर्म आर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

   1. परिनिर्धारित क्षति– परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामलें में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिये की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए 2½%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनाधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनाधिक अवधि के लिए 7½ %

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलंब के लिए 10%

2. विलंब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा । परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी ।

यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसमें प्रदायगी हेतु आवेदन दिया है। किन्तु वह उसके लिये निवेदन बाधा के घटित होने के तुरंत बाद करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा। यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

31. **वसूलियॉ** :

परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिये वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट व रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोकी जा सकेगी तथा सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय के साथ वसूली उसको देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पीडीआर एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

32 निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

33. यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो उसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही को रद्द कर दिया जाएगा किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो ।

34. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदो को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा ।

35. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक प्रमाणित प्रति।
2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष ।
3. एक मात्र स्वामित्व के मामलें में आवास, एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर।
4. कंपनी के मामलें में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र।

36. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तो के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामलें को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में आने वाले अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबंध नही होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा ।

37. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा (संस्था या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।

38. निविदादाता तकनीकी निविदा फार्म के साथ संलग्न समस्त संलग्नक ***(Annexures)*** को भरकर तथा हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करेगे।

39. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

S R 11

I/We declare I am/We are bonafide Manufacturers in the equipments for which I/We have tendered.

In this declaration if found to be incorrect then without prejudice to an other action that may be taken my/our security may be forfietted in full and the tender if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the tenderer

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ____________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ____________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.